

( राजस्थान-सरकार )

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर, बारां (राज.)**

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :- 08 / 2024

पंजीकरण संख्या :- 2024 / 16

**बउनवान**

श्री आशीष कुमार दाधीच निवासी रामटेकरी हनुमान मंदिर के सामने, मेन रोड, हम्माल मौहल्ला, वार्ड नं. 7, रावतभाटा पोस्ट रावतभाटा जिला कोटा (राज.)

(अपीलार्थी)

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता

(प्रत्यर्थी)

**प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)**

**निर्णय दिनांक 11.03.2024**

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2023 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरुद्ध (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता के ऑनलाइन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन-पत्र में चाही गई पूर्ण सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 19.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 216-217 दिनांक 19.02.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 216-217 दिनांक 19.02.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/672-673 दिनांक 04.03.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता से अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन पत्र में सूचना चाही गई थी जो कार्यालय में दिनांक 24.03.2023 को प्राप्त हुआ जिसकी सूचना कार्यालय तहसीलदार, अंता के पत्र क्रमांक/एल.आर./2023/1163 दिनांक 13.04.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार भिजवाई गई :-



| बिन्दु सं. | प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना  | प्रार्थी को उपलब्ध कराई गई सूचना  |
|------------|--|---|
| 1.         | ग्राम घोड़ीगांव पटवार हल्का घोड़ीगांव भू.अ.नि.- पाटोंदा तहसील अंता जिला बारां के खसरा नं. 215, 216, 218, 220, 221, 225 एवं ग्राम पाटोंदा पटवार | चाही गई सूचना हकत्याग दिनांक 13.05.2016 पंजीयक पु.सं. 01 जि.सं. 01 पृ.सं. 02 क्र.सं. 03 |

|   |   |
|---|---|
| <p>हल्का पाटोन्दा भू.अ.नि.— पाटोन्दा तहसील अंता जिला बारां के खसरा नं. 1883, 1884 व ग्राम बडगांव पटवार मंडल बडगांव भू.अ.नि.— पाटोन्दा तहसील अंता जिला बारां के खसरा नं. 623 के संबंध में आपके विभाग में उपलब्ध उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध करवायें।</p> | <p>पर उपपंजीयक कार्यालय अंता में सत्यनारायण पुत्र रामकल्याण जाति ब्राह्मण सा. बडगांव के नाम हकत्याग हुआ है जिसकी फोटोकॉपी सूचना के अधिकार के नियमानुसार नहीं दी। ग्राम बडगांव की नामा.सं. 1328 व ग्राम घोडीगांव के नामा.सं. 610 की फोटोकॉपी प्रति संलग्न है। फोटोकॉपी प्रमाणित सत्यापित प्रतियां प्राप्त करना चाहते हो तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर प्रमाणित सत्यापित प्रतियां प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आप कोई सूचना चाहते हो तो कार्यालय समय व दिवस पर उपस्थित होकर रिकार्ड का निरीक्षण कर लें। इसके पश्चात् आप जो भी सूचना चाहोगे नियमानुसार उपलब्ध करायी जावेगी।</p> |
|---|---|

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/एल.आर./2023/1163 दिनांक 13.04.2023 से समय सीमा अंदर 01 माह में सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **11.03.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारां